फा. सं.42(02)/पीएफ.II/2014

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

23 फरवरी, 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः चल रही स्कीमों को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे जारी रखे जाने के संबंध में निर्देश।

कृपया 11वीं पंचवर्षीय योजना से योजना स्कीमों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के विषय पर इस विभाग के 14 दिसम्बर, 2011 के का.ज्ञा. सं.1(3)/पीएफ-II/2011 का संदर्भ लें। विगत में, पंचवर्षीय योजना से आगे जारी रखे जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक स्कीम का योजना अवधि के अंत में पुनर्निरीक्षण किया जाता था। वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ योजना युग का अंत हो रहा है। सरकारी व्यय गुणता सुधारने के लिए प्रत्येक स्कीम की एक अंतिम तारीख और एक परिणाम समीक्षा होनी चाहिए। तदनुसार, स्कीमों को केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधन चक्र के अनुरूप बनाने के लिए इन्हें वित्त आयोग चक्रों के साथ समाप्त किया जाएगा, ऐसा पहला चक्र मार्च, 2020 में समाप्त 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि होगी। निम्नलिखित पैराओं में 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे जारी रखी जाने वाली स्कीमों के दिशानिर्देशों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।

1. इस विभाग के 5 अगस्त, 2016 के का.ज्ञा. सं.24(35)/पीएफ-II/2012 (पैरा 11) के अनुसार यह निदेश दिया गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में चल रही अपनी स्कीमों की परिणाम की समीक्षा करनी चाहिए और इन स्कीमों को आगे जारी रखने के लिए इन्हें मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु पुनःप्रस्तुत किया जाए जब तक कि स्कीम को चौदहवें वित्त आयोग की अवधि अथवा उससे आगे के लिए पहले से ही सह-अवसानी न बनाया गया हो।

2. मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मार्च, 2017 की समाप्ति से पहले ही अपनी स्कीमें शीघ्र अति शीघ्र मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर दी जाएं ताकि ये स्कीमें निर्बाध, युक्तिसंगत और कारगर तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रह सकें।

3. यदि स्कीम की परिणाम समीक्षा सकारात्मक रही है और यह दर्शाती है कि यद्यपि स्कीम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने में कारगर रही है, इसके अधिदेश और कार्यनिष्पादन के आलोक में स्कीम को जारी रखने की अब भी जरूरत है तो स्कीम को जारी रखे जाने के लिए अनुमोदन मांगा जाए।

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि जारी रखे जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी सभी स्कीमों में ऐसी कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में समाप्त कर दिए जाने का विशेष रूप से निर्णय लिया था।

5. केन्द्रीय बजट 2016-17 तैयार करते समय, कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों के साथ उनके परिणामी कार्यढांचे के संबंध में परामर्श करते हुए स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया गया था। तथापि, स्कीमों/उप-स्कीमों को जारी रखे जाने के प्रस्ताव में, उन मौजूदा स्कीमों और उप-स्कीमों, जो स्कीमें समरूप हैं या समय के साथ-साथ अनावश्यक या निष्प्रभावी हो गई हैं, को मिलाते हुए, पुनर्गठित करते हुए या बंद

करते हुए और युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। व्यय विभाग को बेहतर परिणामों के लिए बड़े पैमाने पर किफायत सुधार हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से किसी मौजूदा स्कीम/उप-स्कीम को मिला देने, पुनर्गठित करने या बंद करने का अधिकार है।

6. अनुमोदित अवधि के लिए कुल 500 करोड़ रुपए से कम के वित्तीय निहितार्थ की स्कीमें को जारी रखे जाने के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन, व्यय विभाग के 5 अगस्त, 2016 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन में दी गई प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंदर किया जाए। 500 करोड़ रुपए से अधिक के ऐसे कुल वित्तीय निहितार्थ की स्कीमों को जारी रखे जाने के प्रस्तावों के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड के माध्यम से दो भागों में कार्रवाई की जानी चाहिएः-

क) भाग क में मंत्रालय/विभाग की सभी व्यापक स्कीमों को जारी रखे जाने के संबंध में एक समेकित प्रस्ताव होना चाहिए। मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करने के लिए एक मंत्रालय/विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित प्रत्येक व्यापक स्कीम (कार्यक्रम) के समग्र वित्तीय निहितार्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ख) भाग ख में मंत्रालयों/विभागों की केन्द्रीय क्षेत्र की सभी स्कीमों को जारी रखे जाने का समेकित प्रस्ताव होना चाहिए। तथापि, मूल्यांकन/अनुमोदन के प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की प्रत्येक स्कीम की लागत पर अलग-अलग विचार किया जाएगा। इस समेकित रूप में प्रस्ताव केन्द्र क्षेत्र की केवल उन स्कीमों के लिए भेजा जाए जहां चालू स्कीमों की मूल विशेषताओं/दिशानिर्देशों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो। ऐसी स्कीमें हो सकती हैं जिनके मूल उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए स्कीम की संरचना, डिजाइन, विशेषताओं और/या दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया हो। परिवर्तनों के संबंध में यह प्रस्ताव परिणाम मूल्यांकन, नीति में किसी आदर्श बदलाव या किसी अन्य वैध और उपयुक्त कारण पर आधारित हो सकता है। ऐसी सभी स्कीमों को जारी रखे जाने के प्रस्ताव पर एकल आधार पर अलग से कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इसके लिए और व्यापक अंतर-मंत्रालयी परामर्श और मूल्यांकन अपेक्षित होगा जिसमें और अधिक समय लग सकता है।

7. मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रारूप के साथ स्कीमों/उप-स्कीमों की संरचना, वर्गीकरण और बनावट के संबंध में प्रचलित आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

8. समान प्रकार के लक्षित लाभार्थियों के लिए कुछ हद तक मिलते-जुलते कार्यकलापों/उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव में, केन्द्र सरकार की समान प्रकार की अन्य अथवा संबंधित स्कीमों के साथ एक समरूप संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए यह वांछनीय है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों को कुछ हद तक समान उद्देश्यों वाली स्कीमों के विलय/बंद करने की संभावनाएं तलाशने के लिए अपने/अन्य मंत्रालयों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न चालू स्कीमों की जांच करनी चाहिए।

9. स्थापनाओं का अनावश्यक सृजन, प्रशासनिक व्यय और संसाधनों के अत्यल्प विभाजन से बचना चाहिए।